न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 01, अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

तरसेमसिंह बनाम जीतो

वाद पत्र संख्याः– 63/2011(CIS No.104/2014)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
30.08.25	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। इस आदेश द्वारा प्रार्थीया तेजकौर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 24.02.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थीया तेजकौर की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि दिनांक 08.10.2024 को उसकी अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है, जबकि प्रार्थीया पर समन की तामील नहीं हुई थी और समन रिछपाल को दिया गया था जो उसके साथ निवास नहीं करता है। दिनांक 22.02.2025 को उसे एक तरफा कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हुई। अतः उसके विरूद्ध पारित एक पक्षीय आदेश को निरस्त कर प्रार्थीया को प्रकरण में जवाबदेही व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि प्रार्थीया पर सम्यक् रूप से तामील की गई थी, परन्तु प्रकरण में देरी करने के आशय से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। अंत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करना व्यक्त कर प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। उभय पक्ष की बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया एवं सम्बन्धित विधि का परिशीलन किया गया। हस्तगत वाद में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी जीतो की विधिक प्रतिनिधि तेजकौर को प्रकरण की सम्यक् सूचना होने के पश्चात् भी वह दिनांक 08.10.2024 को न्यायालय में उपस्थित नहीं आयी थी, जिस पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया था। 30/8/25 अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर	

न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 01, अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

तरसेमसिंह बनाम जीतो

वाद पत्र संख्याः– 63/2011(CIS No.104/2014)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
	तत्पश्चात् प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत कई तिथियों पर भी प्रार्थीया न्यायालय में उपस्थित नहीं आयी थी। इसके उपरांत उसके द्वारा दिनांक 24.02.2025 को यह वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रार्थना पत्र हालांकि देरी से प्रस्तुत किया गया है, परन्तु यदि प्रार्थीया को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया तो उसके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रार्थीया के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने से न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी और प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकेगा। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थीया तेजकौर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 500/–रूपये हर्जाना से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। निष्कर्षतः प्रार्थीया तेजकौर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 24.02.2025 हर्जाना राशि 500/–रूपये पर स्वीकार किया जाकर, इस न्यायालय द्वारा प्रार्थीया तेजकौर के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 08.10.2024 को अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थीया को प्रकरण में सुनवाई हेतु अनुज्ञात किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 व 09 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 09.09.2025 को पेश हो। Manish 30/08/25 (डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल) अपर जिला न्यायाधीश सं01 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर	